न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 05/2014

अपीलार्थी :-

श्रीमति सुन्दरदेवी पुत्री मानसिंहजी पत्नि भवंरसिंहजी जाति- पुरोहीत, उम्र-52साल निवासी - मोहराई, तहसील- जैतारण जिला - पाली (राज0)
हाल निवास मादा, तहसील- देसूरी जिला -पाली (राजस्थान)

बनाम

गै0सा0 :-

1. भंवरसिंह पुत्र मानसिंहजी जाति- पुरोहीत तहसील - जैतारण, जिला-पाली (राज0)
2. सरपंच ग्राम पंचायत - मोहराई, तहसील- जैतारण जिला-पाली (राज0)
3. भंवरसिंह पुत्र सावंतसिंह जाति पुरोहित निवासी मोहराई तहसील जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा - 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या -642 दिंनाकित (नामान्तकरण स्वीकृत किया गया, जिस पर अंकित नही है) के जरिये विरासत में ग्राम पंचायत मोहराई तहसील- जैतारण जिला-पाली द्वारा स्वर्गीय श्री मानसिंह पुत्र सबलसिंहजी, जाति-पुरोहित, निवासी मोहराई के मौत होने पर भंवरसिंह पुत्र मानसिंहजी के हक में स्वीकृत किया गया, जिसे अपास्त करने हेतु

तारीख रजु: 21/08/2014

उपस्थितः-

1. श्री डुंगरसिंह अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 22/12/2017**

वकील मय अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा - 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या -642 दिंनाकित (नामान्तकरण स्वीकृत किया गया, जिस पर अंकित नही है) के जरिये विरासत में ग्राम पंचायत मोहराई तहसील- जैतारण जिला-पाली द्वारा स्वर्गीय श्री मानसिंह पुत्र सबलसिंहजी, जाति-पुरोहित, निवासी मोहराई के मौत होने पर भंवरसिंह पुत्र मानसिंहजी के हक में स्वीकृत किया गया, जिसे अपास्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मोहराई, तहसील-जैतारण जिला-पाली अपीलाधीन आदेश पारित करने में घोर विधिक एंव तथ्यात्मक भूल की है । इसलिए उक्त नामान्तकरण निरस्त किए जाने योग्य है । अपीलार्थी के पिता श्री मानसिंह पुत्र सबलसिंहजी के खातेदारी की भूमि सरहद मौजा - मोहराई, पटवार हल्का मोहराई, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज, तहसील-जैतारण में खसरा न. 687, 32, 52, 487 आई हुई थी, जिसमें अपीलार्थी के पिता श्री मानसिंह पुत्र सबलसिंहजी का हिस्सा 1/2 माफिक राजस्व रेकर्ड के था, किन्तु मानसिंहजी के देहांत हुए करीब 36 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, जिसके उत्तराधिकारी अपीलार्थी व अपीलार्थी की माता हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हकदार है, जो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है, अपीलार्थी की माता का भी अब देहान्त हो चुका है, किन्तु प्रत्यार्थी संख्या एक ने तत्कालीन राजस्व भू निरीक्षक व सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई प्रत्यार्थी संख्या 2 दो ने नातान्करण भर कर स्वीकृत कर दिया, जबकि भंवरसिंह पुत्र मानसिंह नाम का कोई पुत्र मानसिंहजी के था ही नही, मात्र एक पुत्री अपीलार्थी ही उसकी जायन्दा संतान है, किन्तु सांठ गांठ कर उक्त भुमि के संबंध मे प्रत्यार्थी संख्या 1एक के हक मे नामान्तकरण संख्या 642 भरवा कर तथा भू अभिलेख निरीक्षक को कुप्रभावित कर सरपंच ग्राम

Scanned by CamScanner

पंचायत मोहराई से मिली भगती कर नामान्करण स्वीकृत करवाकर भूमि अपने नाम करवा ली। जबकि ऐसा करने का ना तो प्रत्यार्थी संख्या 1 एक को कोई अधिकार था, क्योकि उक्त नाम का कोई व्यक्ति नही है, ना ही प्रत्यार्थी संख्या 2 दो को इस प्रकार के नामान्तकरण को स्वीकृत करने का अधिकार था। राजस्व इंस्पेक्टर ने भी उक्त नामान्तकरण पर वंशावली भी नही बनायी उसकी गलत जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की, तथा मानसिंह की पत्नि व पुत्री ही मात्र उत्तराधिकारी थी, इसके अलावा और कोई उत्तराधिकारी नही था। भंवरसिंह पुत्र सावतसिंह जो कि अपीलार्थी के पिता के छोटे भाई का पुत्र है, जिसने उक्त गैर कानूनी नामान्तकरण भूमि हडप करने के लिए भरवाया। खातेदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारीगण को बिना सुने कुछ उत्तराधिकारीयों के पक्ष में भरा जाने वाला नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने की स्थिति में मृतक खातेदार के उन उत्तराधिकारीयो द्वारा, जिनको कि ऐसे नामान्तकरण से वंचित रखा गया है, व गैर उत्तराधिकार के हक में नामान्तकरण पारित किया गया, जिसे चुनौती देने का पूर्ण विधिक अधिकार है, और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुये यह अपील के माध्यम से स्वर्गीय मानसिंहजी के निधन के पश्चात भंवरसिंह पुत्र मानसिंह के पक्ष में उसकी खातेदार जमीन के संबंध में पारित किये गये नामान्तकरण संख्या 642 (जिस पर दिनॉक अंकित नही है) को चुनौती दे रहे है। अपीलार्थी, स्वर्गीय मानसिंहजी की पुत्री है, जिन्हे इस नामान्तकरण को निरस्त कराने का पूर्ण अधिकार है। उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का मोहराई द्वारा भरा ही नही किया, जिसके उपर पटवारी हल्का मोहराई का ना तो कोई पृष्ठांकन है, और ना ही उसके हस्ताक्षर है, मात्र गिरदावर द्वारा चैक किया जाना व हस्ताक्षर किया जाना अंकित है, जो दिनॉक 10.10.1977 अंकित है, किन्तु ग्राम पंचायत के समक्ष किस दिनॉक को स्वीकृत किया गया, अंकित नही है, तथा इस पर पटवारी हल्का मोहराई के भी हस्ताक्षर नही है। अपीलार्थी के पिता का देहान्त बाल्यकाल में ही हो गया, तब अपीलार्थी को उसकी माता ने अपने पिहर लेकर चली गयी, अर्थात् अपीलार्थी के ननीहाल में ही पाल पोश कर बडी की, तथा अपीलाधीन नामान्तकरण के तहत जो भूमि श्री मानसिंहजी के खातेदारी की थी, उसका बराबर उपयोग अपीलार्थी की माता करती आ रही थी, व उसके बाद अपीलार्थी करती आ रही है। अपनी भूमि के संबंध में मिल रहे कृषि मुआवजा की राशि के संबंध में पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, जिसके साथ अपीलार्थी का पुत्र भी था, तो उन्हे जानकारी दिनॉक 20.07.2014 को हुई कि उक्त भूमि बाले बाले प्रत्यार्थी संख्या 1 एक ने अपने नाम करवा ली, तब उन्होने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की, व उसके बाद नामान्तकरण की नकले प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत कर रही है। अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी दिनॉक 25.07.2014 को हुई, जो अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से शून्य है, इसलिए उसे चुनौती देने में कोई समय सीमा निर्धारित नही है, ऐसी स्थिति में अपील को समय अवधि में माना जावे। उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया, तथा मानसिंहजी के कोई पुत्र नही होते हुए जो गलत नाम से नामान्तकरण भरा गया, ऐसे नामान्तकरण को चुनौती देने की कोई समय सीमा निर्धारित नही है, क्योकि उक्त नातान्तकरण शुरू से ही शून्य एवं अस्तित्वहिन दस्तावेज है।

अतः अपील प्रस्तुत का प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त करने का आदेश पारित फरमावे, तथा पटवारी हल्का मोहराई, तहसील–जैतारण, जिला–पाली को निर्देश फरमावे कि स्वर्गीय मानसिंह पुत्र सबलसिंहजी के वैध उत्तराधिकारी अपीलार्थी है, जिसके नाम मानसिंहजी की खातेदारी की भूमि खसरा न. 687,32,52,487 की भूमि जो स्वर्गीय मानसिंहजी के हिस्से में आती थी, कि जॉच कर सरहद मौजा– मोहराई, तहसील– जैतारण, जिला– पाली में स्थित उक्त खसरा न. की भूमि का पुनः नामान्तकरण अपीलार्थी के नाम भरे। अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी का पेश किया गया, इस अदालत द्वारा दिनांक 16.11.2015 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया हैं। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई। वह निगरानी खारिज हो गई हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि सरहद मौजा मोहराइ के खसरा नम्बर 687, 32, 52,487

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा आई हुई है। जिसके एक मात्र खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 01 है। गत 60 वर्षो से कब्जा काश्त अप्रार्थी का चला आ रहा है। प्रार्थीया के पिता मानसिंह की मृत्यु होने के बाद उनकी अस्थियां हरिद्वार में उनके सगे बड़े भाई सांवतसिंह जी ने प्रवाहित की गई थी। उनकी पत्नि सुवटीदेवी ने अपनी नाबालिग पुत्री प्रार्थीया को लेकर गांव बारवा चली गई थी। अप्रार्थी का गत 37 वर्षो से रेवेन्यु एजेन्सी ने नामान्तरकरण संख्या 644 दिनांक 10.10.1977 को स्वीकृत किया गया था। पिछले 60 वर्षो से प्रार्थीया व उसकी माता ने कभी भी काश्त नही किया हैं। दिनांक 10.10. 1977 से आंदिनांक 20.07.2014 की अवधि को समायोजित नही किया जा सकता है।

बहस वकुलाय सुनी गई। द्विवान अधिवक्ता अपीलान्ट ने जाहिर किया कि नामान्तरकरण संख्या 644 दिनांक 10.10.1977 को भरा गया जब पक्षकार को नोटिस नही दिया गया। नोटिस पर पटवारी के हस्ताक्षर नही है। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त 1. आर आर डी 1996 पेज 457, 2. आर आर डी 1992 पेज 17,173, 117, 235, 3. आर आर डी 1998 पेज 319, 4. आर आर डी 1996 पेज 16, 5. आर आर डी 2012 पेज 13, 6. आर आर टी 2002(2) पेज 257, 7. आर एल डब्यू 2013 पेज 259, पेश की हैं। उक्त नजीरों में स्पष्ट आदेश हैं कि अपीलान्ट की अपील में लागु होते है। नामान्तरकरण खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में जाहिर किया कि सबलसिंह के पुत्र मानसिंह, सावंतसिंह है। मानसिंह के स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण संख्या 644 भरा वह जांच के भरा गया हैं। सन् 1968 में मर्डर हुआ था। भंवरसिंह जेल में था। सन् 1968 में शंकरलाल का मर्डर हो गया था। बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टान्त 1. आर आर टी 2011 पेज 421, 2. म्याद अधिनियम धारा 135, 3. आर आर टी 2013(1) पेज 125, 4. आर आर टी 2011(1) पेज 424, 5. धारा 90 साक्ष्य अधिनियम, 6. आर आर टी 2006 पेज 78 पेश की हैं। अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावें।

बहस समायत की गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस दौरान प्रस्तुत नजीरो व दलीलों का भी अवलोकन किया गया। मौजा मोहराई में नामान्तरकरण संख्या 644 दिनांक 10.10. 1977 को निग्रित किया गया है। दिनांक 10.10.1977 से 20.07.2014 की अवधि का समायोजित नही किया जा सकता है। नामान्तरकरण दिनांक 10.10.1977 को निर्णित किया गया है। आज तक रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है वह 37 वर्ष की अवधि को समायोजित नही किया जा सकता है। अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर है और अपीलाधीन आदेश को निरस्त नही किया जा सकता है, अपील अवधिपार होने से काबिल खारिज के होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः अपीलान्ट की अपील अवधिपार होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 22/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner